

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

यतीन वर्मा बनाम रामकुमार आदि

किस्म मुकदमा : 88 आर.टी. एक्ट

प्रकरण संख्या : 837 / 2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|-------------|---|---|
| 20.08.2024 | यह वाद पत्र वादी की ओर से जरिये अधिवक्ता पेश किया गया । वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु वकील वादी रजिस्टर सम्मन पेश करे। पत्रावली वास्ते तलबी प्रतिवादीगण दिनांक : 27.09.2024 को पेश हो । | |
| 27/9/24 | <p>al</p> <p>वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 24/10/24 को पेश हो।</p> | |
| 24/10/24 | <p>वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी की तलबी हेतु रजिस्टर सम्मन पेश कर पत्रावली दिनांक 14/11/24 को पेश हो।</p> | |
| 19/12/24 | <p>पत्रावली पेश दुर्ग श्रीमती पी.ओ. नोहर... प्रतिवादी 1 की अन्य कार्य में व्यस्त... रजिस्टर बुमार Ad पत्रावली दि. 13/12/24 को पेश हो। जवाब</p> | |
| 13/2/25 | <p>अनुमति करियेन उपस्थित जवाब हेतु समय चाहा पत्रावली जवाब हेतु दिनांक 30/4/25 को पेश हो।</p> | |
| 4/3/25 | <p>वकील वादी/वादी के निवेदन पर पत्रावली पेश दुर्ग वकील वादी न निवेदन किया की वाद में सहज से सुधिया रह गई है इसलिये संशोधन पर नया वाद पेश करना चाहें है वादी को नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खासिज जमानत व्यापकित में वादी को नया वाद पेश करने की अनुमति के साथ खासिज किया जाता है पत्रावली जखिल द्यत हो।</p> | |

उपखण्ड अधिकारी
नोहर